न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 138/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति जटसिख निवासी 3 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः— 21.05.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 22.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनाा पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/46, खाता संख्या 61/47 व खाता संख्या 75/57 में वादी के नाम संयुक्त रूप से भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वादी का नाम रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/46, खाता संख्या 61/47 व खाता संख्या 75/57 में प्रार्थी के नाम रिछपाल सिंह के स्थान जसविन्द्रपाल सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1088 दिनांक 13.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 88 व भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60, 61, 75 में प्रार्थी का नाम रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार हैसियत से दर्ज है। खाता संख्या 90, 13, 54 में प्रार्थी का नाम जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार हैसियत दर्ज है। पूर्व में जरिये इन्तकाल संख्या 400 किस्म दुरूस्ती स्वीकृत दिनांक 03.10.2016 को खाता संख्या 48, 43 में रिछपाल सिंह के स्थान पर जसविन्द्रपाल सिंह दुरूस्त किया गया था। परन्तु प्रार्थी के तीन अन्य खाते जिसमें प्रार्थी का नाम रिछपाल सिंह दर्ज था, वह सहवन से रह गए। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60, 61, 75 में प्रार्थी का नाम रिछपाल सिंह है, जिसे दुरूस्त कर जसविन्द्रपाल सिंह करना उचित है। पटवारी हल्का फर्दमौका के अनुसार मौका पर उपस्थितजनों ने बताया कि रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह का सही नाम जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/46 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 61/47 की प्रति व राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 75/57 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 10 वीं अंकतालिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/46, खाता संख्या 61/47 व खाता संख्या 75/57 में प्रार्थी के नाम रिछपाल सिंह के स्थान जसविन्द्रपाल सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 10 वीं अंकतालिका की छायाप्रति में नाम जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 3 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60, 61, 75 में प्रार्थी का नाम रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार हैसियत से दर्ज है। खाता संख्या 90, 13, 54 में प्रार्थी का नाम जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार हैसियत दर्ज है। पूर्व में जरिये इन्तकाल संख्या 400 किस्म दुरूस्ती स्वीकृत दिनांक 03.10.2016 को खाता संख्या 48, 43 में रिछपाल सिंह के स्थान पर जसविन्द्रपाल सिंह दुरूस्त किया गया था। परन्तु प्रार्थी के तीन अन्य खाते जिसमें प्रार्थी का नाम रिछपाल सिंह दर्ज था, वह सहवन से रह गए। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60, 61, 75 में प्रार्थी का नाम रिछपाल सिंह है, जिसे दुरूस्त कर जसविन्द्रपाल सिंह करना उचित है। पटवारी हल्का फर्दमौका के अनुसार मौका पर उपस्थितजनों ने बताया कि रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह का सही नाम जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—ःआदेशः—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955, 136 भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू. अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/46, खाता संख्या 61/47 व खाता संख्या 75/57 में अंकित नाम रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह के स्थान रिछपाल सिंह उर्फ जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसविन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **138/2025**
निर्णय दिनांक :- 22.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/46, खाता संख्या 61/47 व खाता संख्या 75/57 में अंकित नाम रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह के स्थान रिछपाल सिंह उर्फ जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 22.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**02**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/309 दिनांकः 22.05.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)